

बिहार विधान सभा दैनन्दिनी-2019 की 2,100 (दो हजार एक सौ) प्रतिवर्ष स्वीकृत नमूना के अनुरूप मुद्रित कर आपूर्ति करने हेतु विभिन्न इच्छुक फर्मों से कागज, बार्निशिंग, कभर, निर्माण एवं मुद्रण से संबंधित नमूना के साथ प्रति दैनन्दिनी न्यूनतम दर के साथ सीलबंद लिफाफे में निविदायें दिनांक 09 अक्टूबर, 2018 के 3.00 बजे अपराह्न तक सचिव, बिहार विधान सभा के पदनाम से यथानिर्धारित शर्तों के अधीन आमंत्रित की जाती है।

सभी प्राप्त निविदायें दिनांक 10 अक्टूबर, 2018 के 03.00 बजे अप० में सचिव, बिहार विधान सभा के कार्यालय कक्ष में क्रय समिति के समक्ष खोली जाएंगी, जिसमें सभी निविदादाता स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।

बिहार विधान सभा दैनन्दिनी-2019 के स्वीकृत नमूना का अवलोकन तथा इससे संबंधित विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस में बिहार विधान सभा सचिवालय के सूचना, प्रसारण, प्रकाशन तथा जनसंपर्क शाखा से प्राप्त की जा सकती है।

निविदा से संबंधित निर्धारित शर्तें

1. बिहार विधान सभा दैनन्दिनी-2019 के एक पृष्ठ पर दो तिथि पंचांग भाग सहित मुद्रित होगी,
2. वर्ष 2019 एवं 2020 की दिन-पत्री के साथ बिहार विधान सभा दैनन्दिनी-2019 के प्रारंभ में बिहार विधान सभा से संबंधित पाँच रंगीन चित्र तथा इसके उपरान्त लगभग 80 पृष्ठों में विविध सूचनायें मुद्रित होगी,
3. बिहार विधान सभा दैनन्दिनी-2019 में कागज एवं कभर उच्च कोटि का स्वीकृत नमूना के अनुरूप होगा,
4. निविदा के साथ कार्यानुभव, फर्म का निबंधन प्रमाण पत्र, अद्यतन आयकर चुकता प्रमाण पत्र एवं जी.एस.टी. निबंधन प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए।
5. निविदादाता को निविदा के साथ कागज एवं कभर के विभिन्न रंगों के रेक्सीन का नमूना (फर्म की मोहर / हस्ताक्षर सहित) संलग्न करना एवं निविदा के कभर पर फर्म का पूरा नाम, दूरभाष संख्या, मोबाईल संख्या अंकित करना अनिवार्य है,
6. निविदा के साथ संलग्न सभी कागजात स्वअभिप्रमाणित एवं सांख्यिकित होना चाहिए,
7. जिस निविदादाता का चयन मुद्रण के लिए किया जायेगा, उन्हें उक्त कार्य के लिए अंके 25000/रू० (पच्चीस हजार रुपये) जमानत स्वरूप डी०डी०ओ०, बिहार विधान सभा, पटना के नाम से बैंक ड्राफ्ट सभा सचिवालय के रोकड़ शाखा में जमा करना होगा, जो कार्य संतोषप्रद होने पर वापस कर दिया जायेगा।
8. सभी पूर्ण रूप से तैयार बिहार विधान सभा दैनन्दिनी-2019 की आपूर्ति मुद्रक को दिसम्बर, 2018 के तीसरे सप्ताह तक निश्चित रूप से कर देनी होगी,
9. स्वीकृत नमूना एवं गुणवत्ता के अनुरूप बिहार विधान सभा दैनन्दिनी-2019 का मुद्रण नहीं होने तथा निर्धारित अवधि के अंदर इसकी आपूर्ति नहीं करने की स्थिति में मुद्रक द्वारा जमा की गई जमानत राशि जब्त करने तथा विपत्र से कटौती का अधिकार सभा सचिवालय को होगा,
10. निविदादाता को निविदा के साथ स्वअभिप्रमाणित पत्र संलग्न करना होगा जिसमें यह अंकित हो कि उनके फर्म को सरकार अथवा किसी अन्य प्रतिष्ठित संस्थान के द्वारा काली सूची में नहीं रखा गया है तथा इससे संबंधित कोई मुकदमा दर्ज नहीं है।
11. उपर्युक्त सभी शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। अपूर्ण, अस्पष्ट एवं विलम्ब से प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
12. किसी अथवा सभी निविदाओं को बिना कारण बताये रद्द / अस्वीकृत करने का सर्वाधिकार सभा सचिवालय को सुरक्षित रहेगा।

संजय कुमार सिंह

उप निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना।